# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 90 / 2025 GCMS No.—2025/176

रामरतन मीणा दत्तक पुत्र ग्यारसीलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी ग्यारसी लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम चरणगढ, तहसील तूंगा, जिला जयपुर। 303302
2. केदार प्रसाद मीना पुत्र सुखपाल मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम चारणवास, पोस्ट दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार महोदय, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.07.2025 तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा बैचाननामा का नामान्तकरण संख्या 1101 दिनांक 16.07.2025 को अनुचित व अवैध रूप से रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकृत करने के विरूद्ध अपील।

———————

उपस्थितः–

1. श्री हरिशंकर चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ओर से।

निर्णय दिनांकः 13.10.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय 16.07.2025 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1101 वाके ग्राम बूज, तहसील जमवारामगढ रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 26.08.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। पत्रावली पर अपीलाधीन नामान्तकरण की ऑनलाईन छायाप्रति उपलब्ध है। वकील उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट के दत्तक पिता स्व0 ग्यारसीलाल पुत्र कानाराम जाति मीणा के कब्जेकाश्त व मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा नंबर 1268 रकबा 0.58 हैक्टैयर ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ में स्थित थी। जिनकी मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ग्यारसी देवी पत्नी ग्यारसीलाल मीणा के नाम दर्ज हो गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने अपने पीहर वालों के कहे अनुसार अपीलांट की जानकारी के बिना जबकि अपीलांट को स्व0 ग्यारसीलाल व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने बाल्यकाल की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अवस्था में ही सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दत्तक पुत्र बना लिया था। ग्यारसीलाल की मृत्यु दिनांक 26.11.2015 को होने के उपरांत ग्यारसीलाल के समस्त मृतक कियाकर्म अपीलांट द्वारा समस्त परिवारजनों, रिश्तेदारों व समाज के मौजूदा मौजिज व्यक्तियों के समक्ष मजमेंआम ग्राम बूज में अपीलांट के स्व0 ग्यारसीलाल का दत्तक पुत्र होने के आधार पर पगडी का दस्तुर किया गया था। इस प्रकार स्व. ग्यारसीलाल की मृत्यु के उपरांत ग्यारसीलाल की समस्त कृषि भूमियों का अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 का संयुक्त रूप से मालिक स्वामी होने के बावजूद भी रेस्पा0 संख्या 1 ने स्व0 ग्यारसीलाल की भूमि का नामान्तकरण दिनांक 08.02.2016 को तत्कालीन सरपंच से तस्दीक करवा लिया। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दत्तक पुत्र होने के आधार पर अपीलांट भी उक्त कृषि भूमि में बराबर का हिस्सेदार रहा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को बिना प्रतिफल राशि व बिना कब्जे के ही रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पा0 संख्या 2 के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया जिसके संदर्भ में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1101 दिनांक 16.07.2025 को रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के हक में तस्दीक कर दिया जो न्यायिक प्रावधानो के अनुसार अनुचित है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के हक में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के गैर कानूनी बेचान जिसमें ना तो कब्जे का हस्तांतरण किया गया एवं ना ही बेचान के समय समुचित विक्रय मूल्य राशि प्राप्त की गयी केवल मात्र अपीलांट के हिस्से को हडपने के आशय से गैर कानूनी रूप से विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के हक में नामान्तकरण आदेश दिनांक 16.07.2025 को पारित किया गया है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के हक में रजिस्टर्ड वसीयत भी दिनांक 23.12.2015 को निष्पादित की थी जिसके बावजूद रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा अवैध विक्रय पत्र रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के हक में तस्दीक कर दिया गया। तहसीलदार महोदय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 1101 दिनांक 16.07.2025 वाके ग्राम बूज, तहसील जमवारामगढ निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है इसलिए नामान्तकरण को चुनौती दिये जाने का विधिक अधिकार अपीलांट को नहीं है। वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार रेस्पा0 संख्या 1 थे एवं रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया गया जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा विक्रय पत्र निरस्तीकरण हेतु वाद भी माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जयपुर के समक्ष पेश किया गया एवं माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2025 द्वारा अपीलांट को स्थगन अनुतोष प्रदान नहीं किया गया, अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य छुपाकर अपील पेश की है। रजि0 विक्रय पत्र को आदिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा दत्तक पुत्र के संबंध में कोई दस्तोवज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की गयी है इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की छायाप्रति अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1101 पटवारी हल्का द्वारा रजि. विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया जिसके आधार पर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 16.07.2025 को नामान्तकरण संख्या 1101 रेस्पा0 संख्या 2 के हक में स्वीकार किया गया। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार ग्यारसीलाल व रेस्पा0 संख्या 1 का अपीलांट दत्तक पुत्र है एवं रेस्पा0 संख्या 1 ने अपीलांट के हक में रजि0 वसीयत भी निष्पादित की है। अपीलांट द्वारा स्व. ग्यारसीलाल एवं रेस्पा0 संख्या 1 के दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई ठोस एवं सुसंगत दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। स्व. ग्यारसीलाल के फौत होने पर उनकी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ स्थित खातेदारी कृषि भूमि का उनकी पत्नी रेस्पा0 संख्या 1 के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया। जिसके पश्चात रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बेचान जरिये रजि0 विक्रय रेस्पा0 संख्या 2 को किया गया एवं रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार अपीलांट के हक में रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा वसीयत के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना जरिये अभिभाषक प्रकाशित करायी गयी है कि उक्त वसीयत दिनांक 23.12.2015 को कोई अस्तित्व, प्रभाव, विधिक औचित्य नहीं होगा। विधिक प्रावधानो अनुसार वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही लागू होती है वर्तमान में रेस्पा0 संख्या 1 ने अपने जीवनकाल में रजि. विक्रय पत्र सम्पादित किया है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है एवं न्यायालय हाजा को किसी के हक, अधिकार को तय किये जाने बाबत क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें वसीयत, दत्तक पुत्र संबंधी बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तकरण जिस रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर उस विक्रय पत्र को अपीलांट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में चुनौती दी गयी है एवं वर्तमान में विक्रय पत्र को सक्षम स्तर से खारिज नहीं किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

( विनीता सिंह )
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर